श्री कलराज मिश्र

माननीय राज्यपाल, राजस्थान का उद्‌बोधन

विषय पर आयोजित राज्यपाल सम्मेलन

दिनांक 7 सितम्बर, 2020

स्थान – राजभवन, जयपुर

''उच्च शिक्षा के बदलाव में नई शिक्षा नीति 2020 की भूमिका'' विषय पर आयोजित राज्यपाल सम्मेलन में उपस्थित माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक जी, सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के माननीय राज्यपाल, माननीय उप राज्यपाल तथा माननीय शिक्षा मंत्री एवं समस्त कुलपतिगण।

नई शिक्षा नीति–2020, वर्ष 1968 एवं 1986 की शिक्षा नीति से कई आधारों पर भिन्न है। इस शिक्षा नीति का निर्माण सुब्रमण्यम समिति 2016, कस्तूरीरंगन समिति 2019, 676 जिलें, 6600 विकास खण्ड, 2.50 लाख ग्राम पंचायत, शिक्षकों तथा सामान्य व्यक्तियों से विचार विमर्श करने के पश्चात हुआ है। स्वतन्त्रता के पश्चात संभवतः यह ऐसी पहली शिक्षा नीति है, जिसमें इतने वृहद स्तर पर लोगों की प्रतिभागिता सुनिश्चित हुई है।

नई शिक्षा नीति में सहपाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के साथ–साथ व्यवसायिक एवं गैर व्यवसायिक विषयों की खोज की अनुमति देने वाली लचीली पद्धति ''ड्रॉपआउट'' कम कर सकती है साथ ही Multiple Entry एवं Exit Point से सिस्टम में प्रवेश करने के लिए ''ड्रॉपआउट'' के लिए आसान बना देती है। नीति की सबसे बड़ी ताकत इसकी बहु–अनुशासनात्मक और विद्यालय के स्तर पर छात्रों द्वारा अपनी पसन्द के आधार पर विषय चुन पाना है, इससे सिस्टम के भीतर छात्रों के लिए कई प्रवेश बिन्दु और विकास बिन्दु खुल गये हैं जो इस नीति को स्वागत योग्य बनाते हैं।

जहाँ एक और यह शिक्षा नीति न्यूनतम कक्षा 05 तक मातृभाषा/स्थानीय भाषा में शिक्षा देने पर जोर देती है वहीं दूसरी ओर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से संप्राप्ति स्तर को बढ़ाये जाने पर भी केन्द्रित है। परख (PARAKH) (समग्र विकास

के लिए प्रदर्शन, आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण) की स्थापना से बच्चों के सीखने तथा उनके मूल्यांकन में विविधता को बढ़ावा मिलेगा साथ ही आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स, सवंर्धित रियलिटी, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग इस आशय से किया जायेगा ताकि बच्चों तक पाठ्यक्रम का अधिकतम सीमा तक हस्तान्तरण हो सके। उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को 50 प्रतिशत तथा कई स्तरों पर प्रवेश एवं छोड़ने की व्यवस्था के साथ–साथ उच्च शिक्षा आयोग का गठन व कई अन्य क्रान्तिकारी परिवर्तन उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनायेंगे ऐसा मेरा मानना है। इस नीति में और अधिक गुणवत्तापूर्ण उन्नयन के लिए मेरे कतिपय सुझाव हैः–

1. नीति के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार/विश्वविद्यालयों द्वारा Preparatory Steps को केन्द्र सरकार की ओर से समयबद्ध एवं वरीयता के क्रम में स्पष्ट रूप से परिभाषित करने पर नीति को लागू करने मे एकरूपता रहेगी तथा अन्य किसी प्रकार की कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर नीति समग्रता एवं अधिक प्रभावशाली रूप से लागू की जा सकेगी।
2. नीति में उच्च शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा, विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों को क्रमबद्ध स्वायत्तता, स्नातक पाठ्यक्रमों की संरचना में बदलाव, विषय चुनने की स्वायत्तता, व्यावसायिक शिक्षा जैसी भविष्योन्मुखी योजना शिक्षा नीति में दृष्टिगत हो रही है। अतः इसके अनुरूप राज्य सरकारों एवं विश्वविद्यालयों को अपने मूल अधिनियम में संशोधित किया जाना रहेगा। केन्द्र सरकार की ओर से केन्द्र एवं राज्यों के विधिक फ्रेमवर्क में बदलाव के लिए स्पष्ट दिशा–निर्देश दिए जाने की आवश्यकता है, जिससे नीति का क्रियान्वयन शीघ्रता एवं चरणबद्ध तरीके से किया जा सके।

3. नई शिक्षा नीति में बहुविषयक शिक्षा में STEM के अन्तर्गत विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग एवं गणित का समावेश किया गया है। मेरा अनुरोध है कि इसमे कृषि और कम्प्यूटर को और स्थान देकर STEAM-C (Science, Technology, Engineering, Agriculture, Maths, Computer) के रूप में परिवर्तन करने से उच्च शिक्षा और रोजगार परक बनेगी।

माननीय राष्ट्रपति महोदय, मेरा मत है कि अगर राज्य, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन सफल तरीके से कर पाते हैं तो यह नई शिक्षा प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले आयेगी, तथा वर्तमान की चुनौतियों को अवसर में बदल कर भविष्य की आशंकाओं की पूर्ति करने में सक्षम हो सकती है।

अंत में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राज्य में सभी स्तरों पर नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दिशा में ठीक योजना बना कर अतिशीघ्रता से केन्द्र द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है एवं राजभवन स्तर पर इस दिशा में एक टास्क फोर्स का गठन कर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

!!जय हिन्द!!